रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 1990/माघ 13, 1911
No. 39] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 1990/MAGHA 13, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1990

सा. का. नि. 48(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 1990 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 में, –

(1) नियम 3 में, –

(क) उपनियम (1) में–

(i) खण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :–

"(गग) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, संयुक्त सचिव जो ब्यूरो का कार्य देख रहा हो, पदेन"

(ii) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ङ) संसद के पांच सदस्य, जिनमें से तीन लोक सभा से और दो राज्य सभा से

(iii) खण्ड (च) में शब्द "चौबीस" के स्थान पर शब्द "छब्बीस" रखा जाएगा ।

(iv) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(छ) बत्तीस प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र से एक-एक जो निम्नलिखित होगा :

(i) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की दशा में जहां मंत्रिपरिषद है, क्वालिटी और मानकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग का भारसाधक मंत्री, और

(ii) संघ राज्य क्षेत्रों की दशा में जहां मंत्रिपरिषद नहीं है, यथास्थिति, प्रशासक या मुख्य कार्यपालक पार्षद "

(v) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ज) पांच मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगठनों में से, प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि जो केन्द्रीय सरकार की राय में उनके क्रियाकलापों में सक्रिय और प्रभावी हों "

(vi) खण्ड (ज) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(जज) पांच व्यक्ति ,जो केंद्रीय सरकार की राय में, उपभोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हैं ।"

(vii) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(झ) दो व्यक्ति , जो, केंद्रीय सरकार की राय में कृषक हितों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ है, कृषकों या कृषक संगमों में से नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे ।"

(viii) खण्ड(ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ञ) तीस व्यक्ति ,जो उद्योग और व्यवसाय तथा उनके संगमों पब्लिक सेक्टर उद्यमों तथा लघु उद्योग सेक्टर का प्रतिनिधित्व करते हों, जो निम्नलिखित प्रकार से चने जाएंगे :–

(क) अखिल भारतीय स्तर के दस उद्योग संगमों या परिसंघों के अध्यक्ष जिनमें कम से कम दो संगम या परिसंघ लघु उद्योग के हों ,

(ख) ब्यूरो के महत्व के विषयों से संबंधित 15 केन्द्रीय या राज्य लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ,

(ग) पब्लिक सेक्टर से भिन्न छ: औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक ,

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन, स्कीम का प्रचालन कर रहे दो लघु उद्योग एककों के अध्यक्ष या स्वत्वधारी ।"

(ix) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(ट) ब्यूरो के महत्व के विषयों से संबंधित वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति ।"

(x) खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ठ) तकनीकी ,शैक्षणिक और वृत्तिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस व्यक्ति जिन्हें ब्यूरो के महत्व के विषयों से संबंधित वृत्तिक निकायों ,शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधिओं में से चुना जाएगा ।"

(ख) उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंत स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :–

"(1 क) किसी सदस्य की पदावधि तब तक जारी रहेगी जब तक वह उस पद पर है जिसके आधार पर वह सदस्य

(ग) उप नियम (2) में, "व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह से अनाधिक व्यक्तियों को सहयुक्त कर सकेगा " शब्द रखे जाएंगे ,

(2) नियम 4 में, उपनियम (3) में, "रिक्ति के भरने के लिए कदम उठाएगा" शब्दों के स्थान पर "रिक्त होने की तारीख से छ: मास के भीतर उसे भरने के लिए कदम उठाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(3) नियम 6 में, उपनियम (5) में "उस रिक्ति को" शब्दों के स्थान पर "उस रिक्ति को उसके होने की तारीख से छ: माह के भीतर)" शब्द रखे जाएंगे ।

(4) नियम 11 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु भारत के बाहर अभिकर्ताओं की नियुक्ति ,केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी " ।

[सं. 6(2)/86-आई.एस. ,आई.]

एम.के.जुत्शी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सा.का.नि.सं. 361 (अ), तारीख 31 मार्च, 1987 द्वारा प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात उसका सा.का.नि.सं. 7(अ), तारीख 6 जनवरी, 1989 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 2nd February, 1990

NOTIFICATION

G.S.R. 48(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Bureau of Indian Standards (Amendment) Rules 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards Rules, 1987,

(1) in rule 3,—

(a) in sub-rule (1),—

(i) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

"(cc) Joint Secretary in the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau, dealing with the work of the Bureau—ex-officio."

(ii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) five Member of Parliament of whom three shall be from the House of the People and two from the Council of States.'

(iii) in clause (f), for the words "twenty four" the words "twenty six" shall be substituted.

(iv) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

"(g) thirty two representatives-one each from the State Governments and the Union Territories who shall be,—

(i) the Minister in charge of the Department having administrative control over quality and Standards in the case of States and Union Territories having Council of Ministers and

(ii) the Administrator or the Chief Executive Councillor as the case may be, in the case of Union Territories, not having a Council of Ministers."

(v) For clause, (h), the following clause shall be substituted, namely: —

(h) one representative each from five recognised Consumer Organisations which in the opinion of the Central Government are active and effective in their operations."

(vi) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely :—

"(hh) five persons, who, in the opinion of Central Government, are capable of representing consumer interests."

(vii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) two persons, who, in the opinion of the Central Government, are capable of representing farmers' interests, to be nominated from amongst farmers or farmers associations."

(viii) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:—

"(j) thirty persons representing the industry and trade and their associations, public sector enterprises and small scale sector to be chosen as follows :—

(a) Presidents of ten industry associations or federations of all-India level including at least two associations or federations of small scale industries;

(b) Chief Executives of 12 Central or State Public Enterprises related to subjects of importance to the Bureau ;

(c) Chairman or Managing Directors of six industrial organisations other than the Public Sector ;

(d) Chairman or Proprietors of two small scale industrial units operating the Bureau of Indian Standards Certification Scheme."

(ix) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely :—

"(k) Ten persons representing the scientific and research institutions related to subjects of importance to the Bureau."

(x) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(1) Ten persons representing the technical, educational and professional organizations to be chosen from amongst representatives of professional bodies, educational and technical institutions related to subjects of importance to the Bureau.

(b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(IA) The term of office of a member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is such a member."

(c) in sub-rule (2), for the words "associate persons to assist" the words "associate persons not exceeding fifteen to assist", shall be substituted.

(2) in rule 4, in sub-rule (3), for the words "fill the vacancy by making an appointment" the words "fill the vacancy witrin a period of six months from the date of its occurrence by making an appointment", shall be substituted.

(3) in rule 6, in sub-rule (5), for the words "fill the vacancy by making an appointment" the words "fill the vacancy within a period of six months from the date of its occurrence by making an appointment", shall be substituted.

(4) in rule 11, in sub-rule (2), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the appointment of agents outside India shall be made with the previous approval of the Central Government."

(No. 6(2)|86-ISI.)

M. K. ZUTSHI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published vide No. G.S.R. 361 (E) dated 31st March, 1987 and subsequently amended vide G.S.R. No. 7(E) dated 6th January, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990